न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 109/2007

वादी :-

1. भवंरू पुत्र भागू
   जाति-कुम्हार, निवासी-ग्यास
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुखडी बेवा लिछमण
2. राजूराम पुत्र लिछमण
3. बलदेव पुत्र लिछमण
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
   माता सुखडी जाति-कुम्हार,
   निवासी-ग्यास तहसील-जैतारण,
   जिला-पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार, जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण,जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाझा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 08/06/2007

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 24/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा-ग्यास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 23 बीघा 01 बीस्वा किस्म सेवज दोयम आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी का 3/4 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादीगण 1/4 हिस्सा हैं, जो खातेदार काश्तकार है एवं हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वर्तमान जमाबंदी में प्रति सं0 1 के पति तथा प्रति सं0 2 व 3 के पिता लिछमण की मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा लिछमण के उक्त वारिसान प्रतिवादीगण ही हैं। इसलिए वाद में लिछमण के विधिक वारिसान सुखडी, राजूराम, भीकाराम को वादपत्र में प्रतिवादीगण बनाया। लेकिन उक्त प्रतिवादीगण के नाम फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भरा होने के कारण वर्तमान जमाबंदी में इनका नाम दर्ज नहीं हैं। वर्तमान जमाबंदी में केवल प्रति सं. 1 के पति तथा प्रति सं. 2 व 3 के पिता लिछमण का नाम ही अंकित हैं। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त दर्ज हैं। जिसका कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। उक्त कृषि भूमि संयुक्त शामलाती होने से वादी अपनी कृषि भूमि पर खाद बीज नहीं डाल सकता हैं। तथा न ही अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त बना सकते हैं तथा बैंक से ऋण लेने में भी अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ पैदा होती हैं। वादी ने उक्त कृषि भूमि के बंटवाडे बाबत प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को कई बार निवेदन किया और कहा कि परिवार के बीच प्रेम भाव बना रहे परन्तु वादी को प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने बंटवाडा करने से दिनांक 25.05.2007 को ईन्कार कर दिया। इतना ही नहीं प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 ने अपनी शामलाती कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बेचान करने की धमकी दी। तब वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर चुन्दरी बंट हो रखा है अपने अपने खेतों के बीच माठे कायम हैं। लेकिन कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। इसलिए माफिक मौके पर बंटवाडे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त कृषि भूमि का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना आवश्यक हैं। इस कारण से वादी के बंटवाडा किया जाना आवश्यक हैं। इस कारण से वादी ने बंटवाडा का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि का बलपूर्वक बिना विधिक रूप से बंटवाडा करायें। किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, बक्शीश, रहन, हस्तान्तरण कर देते हैं, तो वादी को अपने जायज हक अधिकार व हिस्से से महरुम होना पडेगा एवं पक्षकारान के बीच अनेक प्रकार की कठिनाईया पैदा होगी, जिससे वादी को असीम हानि होगी एवं ऐसी होने वाली हानि का मूल्यांकन मुद्रा में नही आंका जा सकता हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक रूप से बंटवाडा करायें। किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, बक्शीश, रहन, हस्तान्तरण करे तो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। इस कारण से वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी भंवरु के पिता भागु का नाम वर्तमान जमाबंदी संवत 2063 से 2066 में गलत इन्द्राज हो गया हैं अर्थात वादी के पिता को वादी का पुत्र बनाकर लिछमण भागु पिता भवंरु कर दिया हैं, जो गलत इन्द्राज हैं। जिसें दुरुस्त करते हुए लिछमण के वारीसान प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 नाम फौतेदगी म्यूटेशन भरा जाकर भवंरु पुत्र भागु किया जाना न्यायोचित हैं। इस प्रकार लिछमण भागु पिता भवंरु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है उक्त रोंग एन्ट्रीयों को दुरुस्त कर भवंरु पुत्र भागु राजस्व रेकर्ड में दर्ज कियें जानें हेतु यह घोषणा का वाद पेश किया जा रहा हैं। नकल प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2053 से 2066 की वाद-पत्र के साथ सलंग्न हैं। वाद में प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार जैतारण को पक्षकार बनाया गया हैं। जो भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाडे के बाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया जा गया है जिन्हें कानूनन 80(2) सीपीसी का नोटिस देकर ही इनके विरुद्ध वाद पेश किया जा सकता हैं लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिये बिना ही वाद पेश किया जा रहा हैं। उक्त वाद प्रस्तुत करने बाबत श्रीमान से 80(2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति का निवेदन किया जा रहा हैं। बिनायवाद दिनांक 25/05/2007 को वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा कराने से मना कर दिया एवं उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण ने किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने की एलानिया धमकी दी। जिस कारण से यह बिनाय वाद बमुकाम ग्राम ग्यास तहसील जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो कि अन्दर म्याद पेश हैं तथा श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को बार-बार आवाजें दिलाये जाने के बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी भंवरु व प्रति0 सुखड़ी ने राजीनामा पेश किया, जिसे तस्दीक किया जाकर पत्रावलीबद्ध कराया गया। वकील वादी ने गवाह भंवरु का शपथ-पत्र पेश किया, जिसे पत्रावलीबद्ध कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादी भंवरू व प्रति0 सुखड़ी ने राजीनामा पेश कर आग्रह किया कि यदि माफिक ईश्तदुआ वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं, तो प्रति0 को कोई एतराज नहीं हैं। अतः माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रति0 ने आपस में राजीनामा कर लिया हैं। इसलिए पक्षकारानों के मध्य अब कोई विवाद बिन्दु शेष नहीं रह जाता हैं। अतः वादी घोषणा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लिहाजा उक्त विवादित आराजी की कृषि भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस माफिक राजस्व व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा पक्षकारों में करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–ग्यास, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 23 बीघा 01 बीस्वा किस्म सेवज दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, वंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2009/424 दिनांक 13/04/2009 द्वारा आदेशित किया गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 सीपीसी का पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की विधिक सुनवाई पर प्रदत्त आदेश दिनांक 06/11/2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 का भीकाराम के वास्तविक नाम भीकाराम अथवा बलदेव होने की पटवारी हल्का ने वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 24/10/2013 अनुसार भीकाराम एवं बलदेव एक ही व्यक्ति हैं। भीकाराम का ही नाम बलदेव हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलून्दा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 3 का वास्तविक नाम बलदेव ही हैं। जिसकी जांच मय फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न पत्रावली हैं, अनुसार भीकाराम का वास्तविक नाम बलदेव ही हैं। तहसीलदार, जैतारण को प्राथमिक डिक्री पुनः पालना कर रिपोर्ट आज राजस्व लोक अदालत में ही प्रस्तुत की जाने हेतु आदेशित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण ने आज दिनांक 24/06/2015 को प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् फर्द मौका बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की, जो सा0मि0 की गई।

बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24/06/15 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–ग्यास, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 23 बीघा 01 बीस्वा किस्म सेवज दोयम की भूमि का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	भंवरूराम पुत्र भागूराम कौम–कुम्हार सा0 ग्यास खातेदार।	11/1	11-07-00	से0दो0	10.67 रू.
2	सुखड़ी पत्नि लिछमणराम राजूराम बलदेव पि0 लिछमणराम कौम–कुम्हार सा0 ग्यास खातेदार।	11/2	11-07-00	से0दो0	10.67 रू.
3	भंवरूराम पुत्र भागूराम 1/2 सुखड़ी पत्नि लिछमणराम राजूराम बलदेव पि0 लिछमणराम 1/2 कौम–कुम्हार सा0 ग्यास खातेदार।	11	0-07-00	से0दो0	0.33 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नवशा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नवशा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–बलाड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बगुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

1. भवंरु पुत्र भागू
   जाति-कुम्हार, निवासी-ग्यास
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुखडी बेवा लिछमण
2. राजूराम पुत्र लिछमण
3. बलदेव पुत्र लिछमण
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
   माता सुखडी जाति-कुम्हार,
   निवासी-ग्यास तहसील-जैतारण,
   जिला-पाली (राजस्थान)
4. त्हसीलदार, जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण,जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाझा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधि0, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:109/2007

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाझा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-ग्यास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 23 बीघा 01 बीस्वा किस्म सेवज दोयम की भूमि का निम्नांकित रूप से बंटवाझा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	भंवरूराम पुत्र भागूराम कौम-कुम्हार सा0 ग्यास खातेदार।	11/1	11-07-00	से0दो0	10.67 रू.
2	सुखड़ी पत्नि लिछमणराम राजूराम बलदेव पि0 लिछमणराम कौम-कुम्हार सा0 ग्यास खातेदार।	11/2	11-07-00	से0दो0	10.67 रू.
3	भंवरूराम पुत्र भागूराम 1/2 सुखड़ी पत्नि लिछमणराम राजूराम बलदेव पि0 लिछमणराम 1/2 कौम-कुम्हार सा0 ग्यास खातेदार।	11	0-07-00	से0दो0	0.33 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाझा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलाड़ा पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	9	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		मुत्फरिक		
मिजानः–	14	00	मिजानः–	2	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner